

# कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 973


दिनांक:- 18/4/2024

## आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 732 दिनांक 22.03.2024 के द्वारा माह अप्रैल, 2024 में राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के जयपुर/बस्सी एवं सांगानेर/चाकसू मुख्यालय की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालिक कथन तथा धारा 176 दं.प्र.सं., 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य करने व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई के लिए जयपुर महानगर प्रथम स्थित विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया गया था।

प्रशासनिक कारणवश, उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलिखित करते हुए तथा माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के आदेश क्रमांक स्था/96/2014/1627 दिनांक 18 अप्रैल, 2024 द्वारा लोकसभा चुनाव, 2024 के लिए मतदान दिवस 19.04.2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित राजकीय/सार्वजनिक अवकाश के दिन जयपुर/बस्सी एवं सांगानेर/चाकसू मुख्यालय पर आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०.	अवकाश की दिनांक	नाम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) का नाम व मोबाईल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>जयपुर/बस्सी मुख्यालय हेतु</b>			
1.	19.04.2024	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-01 जयपुर महानगर प्रथम	ललिता कुमारी सोनी, आर.जे.एस. मो० नं० 91661-65044
2.	28.04.2024	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-05 जयपुर महानगर प्रथम	तापस सोनी, आर.जे.एस. मो० नं० 94139-90808
<b>सांगानेर/चाकसू मुख्यालय हेतु</b>			
1.	19.04.2024	एम.एम., क्रम-18, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	सौम्य कुमार सिंह, आर.जे.एस. मो० नं० 87099-64825
2.	21.04.2024	एम.एम., क्रम-17, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	कामाक्षी मीणा, आर.जे.एस. मो० नं० 97806-57800


  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 974 + 0 981

दिनांक:- 18/4/2024

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
2. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
3. दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क, जयपुर।
4. समस्त अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट व विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट.) जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र।
5. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
6. आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
8. वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।

  
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,  
जयपुर महानगर प्रथम।